

कैम्प दाखिल खारिज बाद सं०..... 174/13.4

कार्यालय अंचलाधिकारी, पटना सदर (पटना)

आज दिनांक..... को ग्राम कैमाखीत हलका कपहरी में आयोजित कैम्प में श्री श्री लालू महेता

लोहा का पुल बंधा का बल्द 5/0- रज. काशी महेता
ग्राम हसखड़ा थाना मिहरीगाँव जिला पटना

बसीका नं० 5171 दिनांक 20/11/08 के द्वारा निम्नांकित जमीन का दाखिल खरिज के लिए अनुरोध किया है।

जमीन का विवरण

मांजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा	लगान
<u>शानीपुर</u>	<u>19</u>	<u>555</u>	<u>209</u>	<u>16</u>	<u>0.50</u>

कैम्प में उपस्थित राजस्व/कर्मचारी पर अंचल निरीक्षक से जांच करायी गयी। जांच प्रतिवेदन अभिलेख में संलग्न है। उनलोगों ने आवेदक के नाम से दाखिल खारिज करने की अनुशंसा किए हैं। कैम्प में उपस्थित व्यक्तियों को नामान्तरण की दशा में कोई आपत्ति नहीं है।

अतः राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के अनुशंसा के आधार पर दाखिल खारिज..... किया जाता है।

शुद्धि पत्र निर्गत करें।

लेखापति MS
अंचलाधिकारी, पटना सदर

MS
अंचलाधिकारी, पटना सदर